न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 66/2025

राजस्थान सरकार जरिये शिवलाल यादव, उर्वरक निरीक्षक, एवं सहायक निदेशक उद्यान, कार्यालय उपनिदेशक उद्यान अजमेर।

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नं0 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/1, डीडवाडा, किशनगढ जिला अजमेर।
2. श्री रोनक गोयल पुत्र श्री द्वारका प्रसाद गोयल, एच.एन. 122, महावीर कालोनी, वार्ड नं0 20 किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान 305801 .....**अप्रार्थी**

उपस्थित :–

1. श्री रविन्द्र सिंह सहायक निदेशक **पैरोकार सरकार**
2. श्री रोनक गोयल प्रोपराईटर अप्रार्थी सं. 01 व 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) डी के तहत जब्तशुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने बाबत्।

आदेश

दिनांक– 06.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 01.06.2025 को मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुए। उक्त समय फर्म के प्रतिनिधी के तौर पर श्री मनोज कुमार मीना पुत्र श्री गौरूराम मीणा, निवासी वार्ड नं0 4, झुन्झुनू उपस्थित थे इसके साथ ही मौके पर विभागीय अधिकारी श्रीमति उषा चितारा परियोजना निदेशक, आत्मा एवं उपनिदेशक कृषि श्री सुनिल कुमार भाम्भी, कृषि पर्यवेक्षक तथा श्री संजय यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव निवासी पाटन किशनगढ, अजमेर गवाह के तौर पर उपस्थित थे। श्री सौरभ गर्ग, तत्कालीन उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985* के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 01.06.2025 को मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नं0 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उर्वरक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार किया गया। उक्त नमुनों को अधिसूचित उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर को भिजवाया गया जिनको प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त अमानक घोषित किया गया। तत्कालीन उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर, द्वारा मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 132/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर

जिला कलक्टर
अजमेर

से मौके उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को दिनांक 01.06.2025 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त जब्तशुदा उर्वरक Potash Derived From Molasses (PDM) NPK Carrier Based Consortia, Phosphate Rich Organic Manure (PROM) & KMB को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 01.06.2025 को मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुए। उक्त समय फर्म के प्रतिनिधी के तौर पर श्री मनोज कुमार मीना पुत्र श्री गौरूराम मीणा, निवासी वार्ड नं0 4, झुन्झुनू उपस्थित थे इसके साथ ही मौके पर विभागीय अधिकारी श्रीमति उषा चितारा परियोजना निदेशक, आत्मा एवं उपनिदेशक कृषि श्री सुनिल कुमार भाम्भी, कृषि पर्यवेक्षक तथा श्री संजय यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव निवासी पाटन किशनगढ, अजमेर गवाह के तौर पर उपस्थित थे। श्री सौरभ गर्ग, तत्कालीन उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 01.06.2025 को मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नं0 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उर्वरक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार किया गया। उक्त नमुनों को अधिसूचित उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर को भिजवाया गया जिनको प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त अमानक घोषित किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र0सं0	नाम उर्वरक	बैच नं0	उपलब्ध स्टॉक (बैग)	नमूना कोड	विश्लेषण परिणाम
1	Potash Derived From Molasses (PDM)	POS-06	303	SOG/F/2025-26/004-F	अमानक
2	NPK carrier based consortia	CBC-02	1262	SOG/F/2025-26/005-F	अमानक
3	Phosphate Rich Organic Manure (PROM)	PROM-06	6	SOG/F/2025-26/006-F	अमानक
4	KMB	POR-06	512	SOG/F/2025-26/007-F	अमानक
5	Suspacted Prom	–	16529	SOG/F/2025-26/008-F	अमानक

जिला कलक्टर
अजमेर

तत्कालीन उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर, द्वारा मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 132/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से मौके उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को दिनांक 01.06.2025 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (1)(डी) के तहत उर्वरक जब्ती की कार्यवाही कर मौके पर उपस्थित फर्म के प्रतिनिधी श्री मनोज कुमार मीना पुत्र श्री गौरूराम मीणा, निवासी वार्ड नं0 4, झुन्झुनू को सुपुर्द कर, उपलबध उर्वरक स्टॉक को खुर्द–बुर्द नही करने की हिदायत दी गई तथा शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार किये गए। जब्त किये उर्वरको का विवरण निम्नानुसार है:–

क0सं0	नाम उर्वरक	बैच नं0	उपलब्ध स्टॉक कि.ग्रा	उर्वरक स्थिति
1	Potash Derived From Molasses (PDM)	POS-06	303	दानेदार
2	NPK carrier based consortia	CBC-02	1262	दानेदार
3	Phosphate Rich Organic Manure (PROM)	PROM-06	6	दानेदार
4	KMB	POR-06	512	दानेदार
5	RAW Material (Unlabeled)	–	16529	दानेदार
6	CMS	–	2264	दानेदार

उर्वरक जब्ती के उपरान्त उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (3) के तहत जब्ती की कार्यवाही की सूचना कार्यालय पत्रांक 944–47 दिनांक 10.06.2025 द्वारा श्रीमान् को प्रस्तुत की गई थी। मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज, खसरा नम्बर 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के खण्ड 8, 19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लघंन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं सयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट), कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा एफसीओ के खंण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियो का प्रयोग करते हुये पत्रांक 5414–5470 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरण एवं भण्डारण (Wholesale Of Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसडीएफ/2023–24/3471 को निरस्त कर उपलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गए है। उक्त फर्म द्वारा दिनांक 01.06.2025 को उनके विक्रय एवं भण्डारण परिसर में श्री सौरभ गर्ग, तत्कालीन उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाही एवं कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त की कार्यवाही के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में SB Civil Writ Petition No 11755/2025 (मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य) दायर की गई है। उक्त जब्तशुदा उर्वरक में से RAW Material (Unlabeled)

जिला कलक्टर
अजमेर

16529 बैग एवं CMS 2264 बैग गैर एफसीओ सामग्री है उक्त के निस्तारण के लिए कृषि आयुक्तालय स्तर से कार्यालय के पत्रांक 2729–31 दिनांक 13.8.2025 के द्वारा मार्गदर्शन चाहे गए है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यदि उक्त जब्तशुदा उर्वरक मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक Potash Derived From Molasses (PDM) NPK Carrier Based Consortia, Phosphate Rich Organic Manure (PROM) & KMB को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात कर नियमनुसार निस्तारित कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त जब्तशुदा माल आपसी अनुबंध के अनुसार निर्मित/भरे हुए थे तथा उनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। यह कि निरीक्षण के दौरान जो सामग्री जब्त की गई वह सद्भावना के तहत केवल भण्डारण हेतु रखी गई थी। प्रार्थी का उद्देश्य कभी भी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करना नहीं हैं। यह कि अप्रार्थी की फर्म/इकाई नवस्थापित है जिसे दिनांक 10.11.2023 को विधिवत लाईसेंस प्राप्त हुआ हैं अतः इकाई अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। जिससे फर्म को सीज रखना न्यायोचित नहीं हैं। अप्रार्थी फर्म का कभी भी कृषको के साथ धोखाधड़ी का उद्देश्य नहीं रहा बल्कि सदैव कृषको की मदद ही रहा हैं। राजकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट के निष्कर्ष तकनीकी आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रार्थी ने हमेशा गुणवक्तापूर्ण सामग्री के वितरण का प्रयास किया हैं। उक्त माल समय की प्रकृति से क्षति एवं वर्षा जनित पानी के कारण नष्ट हो चुका हैं और काम में लेने योग्य नहीं रहा हैं। अतः जब्तशुदा माल माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त करना उचित समझे तो मुझ अप्रार्थी फर्म को कोई आपत्ति नहीं हैं। ताकि मूल 6ए प्रकरण का निस्तारण हो सकें। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी का जवाब स्वीकार कर अप्रार्थी फर्म को अनसीज कराने के आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 01.06.2025 को मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुए। उक्त समय फर्म के प्रतिनिधी के तौर पर श्री मनोज कुमार मीना पुत्र श्री गौरूराम मीणा, निवासी वार्ड नं0 4, झुन्झुनू उपस्थित थे इसके साथ ही मौके पर विभागीय अधिकारी श्रीमति उषा चितारा परियोजना निदेशक, आत्मा एवं उपनिदेशक कृषि श्री सुनिल कुमार भाम्भी, कृषि पर्यवेक्षक तथा श्री संजय यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव निवासी पाटन किशनगढ, अजमेर गवाह के तौर पर उपस्थित थे। श्री सौरभ गर्ग, तत्कालीन उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज

जिला कलक्टर
अजमेर

28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 01.06.2025 को मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नं0 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उर्वरक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार किया गया। उक्त नमुनों को अधिसूचित उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर को भिजवाया गया जिनको प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त अमानक घोषित किया गया। तत्कालीन उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि) अजमेर, द्वारा मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 132/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से मौके उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को दिनांक 01.06.2025 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (1)(डी) के तहत उर्वरक जब्ती की कार्यवाही कर मौके पर उपस्थित फर्म के प्रतिनिधी श्री मनोज कुमार मीना पुत्र श्री गौरूराम मीणा, निवासी वार्ड नं0 4, झुन्झुनू को सुपुर्द कर, उपलबध उर्वरक स्टॉक को खुर्द–बुर्द नही करने की हिदायत दी गई तथा शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार किये गए। मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज, खसरा नम्बर 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के खण्ड 8, 19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लघंन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं सयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट), कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा एफसीओ के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियो का प्रयोग करते हुये पत्रांक 5414–5470 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरण एवं भण्डारण (Wholesale Of Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2023–24/3471 को निरस्त कर उपलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गए है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यदि उक्त जब्तशुदा उर्वरक मैसर्स राधिका एग्रो इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0 1532/160, 1534/160, 1535/160, 1536/160 डीडवाडा, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब/दौराने बहस में भी जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने का कथन किया गया हैं। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक Potash Derived From Molasses (PDM) के 303 बैग NPK Carrier Based Consortia के 1262 बैग, Phosphate Rich Organic Manure (PROM) के 6 बैग, KMB के 512 बैग एवं Suspected PROM के 16529 बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात किया जाता है। उप निदेशक कृषि उद्यान अजमेर उक्त जब्तशुदा उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण करावें। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर